



कर्मचारी राज्य बीमा निगम Employees' State Insurance Corporation

"पंचदीप भवन" जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पटना-800 001

"Panchdeep Bhawan", Jawahar Lal Nehru Marg; Patna-800 001

पत्रांक/ पी/42 - 5350-100

सेवा में,

मेसर्स होली क्लिशन लिमिटेड कॉम्पनी लिमिटेड
पुजारीपुरी, माडीपुर
मुजफ्फरपुर - 842001

Holy Mission Senior Secondary School
Prabhatpur, Madipur
Muzaffarpur - 842001

दिनांक/Date... 18-7-05

विषय : क० रा० बी० अधिनियम का कार्यान्वयन तथा संशोधन क० रा० बी० अधिनियम 1948 की धारा 2 (12)/1 (5) के अधीन कर्मचारियों और कारबाना/स्थापना का पंजीयन।

महोदय,

मुझे सूचित करना है कि क० रा० बी० अधिनियम की धारा-1(3) के अधीन कैन्ट्रीय सरकार ने अधिसूचना सं०..... दिनांक के द्वारा क्षेत्र में अधिनियम के अन्तर्गत व्याप्त सभी कारबानों/स्थापनाओं के लिए अधिनियम के उपबंध लागू किये हैं।

2. मुझे पूँः सूचित करना है कि सरकार ने अधिसूचना सं० ESS-I/NT-52/204/385 दिनांक 20-5-05 के द्वारा दिनांक 1-5-2005 से अन्य स्थापनाओं के लिए भी कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 1 (5) के अन्तर्गत अधिनियम के उपबंधों का विस्तार किया है।

3. अधिनियम की धारा 2A के अधीन इस प्रकार के कारबाना/स्थापना को अधिनियम के अन्तर्गत स्वयं को पंजीकृत करा देना अपेक्षित है, और चैप्टर IV प्रधान नियोजक को अपने कर्मचारियों का बीमा कराने और अधिनियम के अन्तर्गत व्याप्त ऐसे कर्मचारियों के संबंधित बदा करने के लिए उत्तरदायी करार देता है।

4. आपके द्वारा प्रस्तुत आपके कारबाना/स्थापना से संबंधित व्यापार, बीमा निरीक्षक/स्थानीय कार्यालय प्रबंधक द्वारा दिनांक को आपकी स्थापना के नियोक्ता प्रतिवेदन के आधार पर आपका कारबाना/स्थापना दिनांक 1-5-2005 से कारबाना/स्थापना उपर उत्तिलिखित तिथि के पहले की तिथि से व्याप्ति था तो आप अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन प्रारम्भिक तिथि से ही करेंगे।

आपसे अनुरोध है कि अधिनियम के अधीन अपने कारबाना/स्थापना की व्याप्ति की तिथि से बीमा प्रयत्न भरकर अंशदान विवरणी तंत्रावार कर अंशदान का भुगतान कर एवं अभिलेखों का अनुरक्षण कर अपने कर्मचारियों के पंजीयन रेतु तत्कार कदम उठायें।

सुविधा के लिए आपकी स्थापना को कूट संख्या A1-5350-700 आवंटित की गई है। कृपया इस कूट संख्या को इस कार्यालय की संख्या सहित एवं प्रोट्रन के नियोक्ता सभी स्थानों को भेजे जानेवाले सभी प्रपत्रों में प्रयोग करें। निगम के स्थानीय कार्यालय मुजफ्फरपुर को निर्देश दें दिये गये हैं कि योजना के संबंध में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर आपकी आवश्यक सहायता करें। आपसे अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त स्थानीय कार्यालय के प्रबंधक से संपर्क करें। वह इस मामले में आपकी आवश्यक सहायता करेंगे।

आपकी स्थापना में कर्मचारियों को अपने राज्य बीमा औषधालय, बीमा विकित्सा व्यवसायी के चयन हेतु बीमा चिकित्सा व्यवसायी राज्य बीमा औषधालय का प्रबारित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में अपेक्षित प्रत्यक्ष आदि कृपया उपर उत्तिलिखित स्थानीय कार्यालय से प्राप्त करें। आपके सभी कर्मचारी उत्तिलिखित स्थान कार्यालय से संबद्ध होंगे।

निगम के कर्मचारी/बीमारी कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अधीन आपके कर्तव्यों और दायित्वों के अनुपालन के लिए आपको सभी आवश्यक और संभव सहायता प्रदान करेंगे में प्रत्यन्तता का अनुमत करेंगे और मेरा विश्वास है कि आपकी और सभी कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम और विवरणों के उल्लंघनों का शीघ्र और समय पर अनुपालन किया जायेगा।

अनुलिखक : कर्मचारियों की संख्या 33 (तृतीय)

भवदीप

(उपनिदेशक)

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यालय हेतु प्रेषित :

- बीमा नियोक्ता श्री ... को इस निर्देश के साथ देखित कि तीन माह के अन्दर अन्तिम दूसरे से व्याप्ति हेतु आवश्यक प्रतिवेदन भेजें।
- स्थानीय कार्यालय प्रबंधक
- लेजर बाला, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना।
- अंशदान शाला, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना।

(उपनिदेशक)